भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2177

उत्तर देने की तारीख 15 मार्च, 2022

24 फाल्गुन, 1943 (शक)

खेलों में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी

2177. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खेलों के क्षेत्र में दादर और नगर हवेली, दमण और दीव सहित सभी राज्यों के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या भारत ओलम्पिक सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी बढ़ाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का इस क्षेत्र में विशेष कर से दादर और नगर हवेली, दमण और दीव क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने और खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक राज्य में नए खेल स्टेडियमों अथवा खेल परिसरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और खिलाड़ियों को लाभ/सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भागीदारी के लिए भारतीय खिलाड़ियों और टीमों की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है जिसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सहायता दी जाती है । केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के माध्यम से खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षण, विदेशी एक्सपोजर और प्रतियोगिताओं के लिए सहायता दे रही है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग ले सकें और उनके पदक

जीतने की संभावनाओं में बढ़ोतरी हो सके । इसके अलावा, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों के कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जाती है। खेलो इंडिया स्कीम के प्रतिभा खोज और विकास घटक के तहत खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनका पोषण किया जाना अपेक्षित है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में उच्चतम स्तर की उपलब्धियां हासिल कर सकें । साई भी देशभर में अनेक खेल संवर्धन स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है ताकि विभिन्न आयु समूहों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उनका पोषण किया जा सके जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें । साई की संवर्धन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), एसटीसी के विस्तार केंद्र और स्कूलों, देशज खेलों और मार्शल आर्ट केंद्रों और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) के तहत अपनाए गए अखाड़ों सहित कुल 188 केंद्र कार्यरत हैं ।

(ख) और (ग) : जी हां । जैसा कि भाग (क) के उत्तर में ऊपर उल्लिखित है, सरकार एनएसएफ को सहायता स्कीम, टीओपीएस, खेलो इंडिया स्कीम और साई की स्कीमों जैसी विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है ताकि भारतीय खिलाड़ियों और टीमों को ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अधिक संख्या में भागीदारी के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा सके ।

(घ) खेल अवंरचना में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है । खेलो इंडिया स्कीम के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खेल अवसंरचना के निर्माण, विकास और उन्नयन के लिए परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है । खेलो इंडिया स्कीम एक मांग संचालित स्कीम है और इस स्कीम के तहत प्रस्तावों पर स्कीम के मानदंडों के संदर्भ में प्रस्तावों की व्यवहार्यता और धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ड.) खेल, राज्य का विषय होने के कारण खेलों में युवाओं की अधिक संख्या में भागीदारी और आवश्यक खेल सुविधाएं प्रदान करने सहित खेलों के संवर्धन और विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का है । तथापि, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों की पूर्ति करती है । राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति के लिए यह मंत्रालय साई के माध्यम से देशभर में अनेक खेल संवर्धन स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है ताकि विभिन्न आयु समूहों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उनका पोषण किया जा सके जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें । चयनित प्रशिक्षुओं को स्कीम के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार विशेषज्ञ कोच, खेल उपकरण, भोजन और आवास, खेल किट, प्रतियोगिता एक्सपोजर, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा/ बीमा और वजीफा के रूप में सहायता प्रदान की जाती है ।

****